न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 98/17

1. नाथी देवी पुत्री बृजलाल पत्नी मदनलाल जाति बिश्नोई सुथार निवासी 4 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज०)

–वादीया

वनाम

1. बृजलाल पुत्र श्री घीसाराम जाति बिश्नोई सुथार साकिन 10 टीके (मृतक)

1/1 लिछमा बेवा बृजलाल जाति बिश्नोई सुथार निवासी 10 टीके के ढाणी हाल 4 बीएलडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

1/2 कमला पुत्री बृजलाल पत्नी खेरूराम जाति बिश्नोई निवासी सीतो गुणो तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब

1/3 शांति पुत्री बृजलाल पत्नी रतनलाल निवासी बिश्नोई सुथार निवासी नागौर रोड पुरानी चुंगी 8 मील जोधपुर

1/4 कृष्णा देवी पुत्री बृजलाल पत्नी रमेश कुमार जाति बिश्नोई सुथार निवासी चिदड तहसील व जिला फतेहबाद हरियाणा

1/5 इन्द्रा देवी पत्नी बृजलाल पत्नी राजेश कुमार जाति बिश्नोई सुथार निवासी गली नं. 6 माता वेष्णो देवी मन्दिर के पास नई आबादी अबोहर जिला फाजिल्का

1/6 विमला देवी पुत्री बृजलाल पत्नी विनोद कुमार जाति बिश्नोई सुथार निवासी 2 एसकेएम (281 हैड) तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–91–92ए–209 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री आर.आर.ओझा वकील वादीया
2. श्री बुधराम वकील प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 20/11/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–91–92ए–209 राज.काश्त.अधि. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि चक 10 टीके तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 52 मु.नं. 82 पं.नं. 190/297 की कुल 3.024 है0 बारानी खातेदारी भूमि में वादीया व प्रतिवादीगण 1/1 व 1/6 का बहिस्सा बराबर हक घोषित फरमाया जाकर वादी का उक्त भूमि में हक व हिस्सा घोषित किया जावे। वादी के लम्बन तक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण चक 10 टीके के तहसील रायसिंहनगर का खाता सं. 52 मु.नं. 82 पं.नं. 190/297 की कुल 3.024 है0 बारानी खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नही करे। जिससे वादी उक्त भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि से बेदखल व वंचित रहता हो।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/6 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। खाता सं. 52 मुंनं. 82 पं.नं. 190/297 की 3.024 है0 अनकमाण्ड भूमि चक 10 टीके पर वादी व प्रतिवादीगण को 1/1 से 1/6 को बहिब एवं प्रत्येक का 1/7 के हक व हिस्सा घोषित फरमाया जाकर राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किये जाने आदेश दिये जाते है। मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। स्टेट की ओर से राजपैरोकार की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया एवं हक व हिस्सा घोषित करवाने पर कोई एतराज जाहिर नही

(राजेन्द्र सिंह)
उप खण्ड अधिकारी (राजस
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

किया है। साक्ष्य वादी में नाथी देवी ने शपथ पत्र पेश किया एवं बयान लिये गये। जमाबन्दी चक 10 टीके सम्वत 2070–73 मु.नं. 82 के 3.024 है0 प्रदर्श–1 करवाई गई। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 10 टीके प्रदर्श–1 सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 52/41 मु.नं. 82 पं.नं. 190/297 के 3.024 है0 अनकमाण्ड भूमि बृजलाल पुत्र घीसाराम कौम बिश्नोई सुथार साकिन 4 बीएलडी खातेदार के नाम दर्ज है। दौराने वाद खातेदार बृजलाल की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान वाद में आवश्यक पक्षकार पूर्व से ही प्रतिस्थापित है। वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। बल्कि अपने जवाब दावा में सहमति प्रकट की है कि वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा घोषित किया जावे।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी चक 10 टीके सम्वत् 2070–73 के खाता सं. 52/41 मु.नं. 82 पं.नं. 190/297 के 3.024 है0 अनकमाण्ड भूमि जो बृजलाल के नाम से दर्ज है में वादीया व प्रतिवादीगण 1/1 से 1/6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बहिब घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने आदेश दिये जाते है। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.11 12:45:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: